



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2010/भाद्र 26, 1932  
No. 233] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2010/BHADRA 26, 1932

### राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

फा. सं. 15-25/2009-एनटीसीए.—केंद्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ठ की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से और 3 सितम्बर, 2012 की समाप्ति तक की अवधि के लिए नियुक्त करती है तथा उक्त प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय को अधिसूचना सं. का.आ. 1403(अ) तारीख 4 सितम्बर, 2006 में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"4. डॉ. ज्योति मिर्धा, —सदस्य";  
संसद् सदस्य (लोक सभा)

- (ii) क्रम संख्यांक 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"5. प्रो. सैफुद्दीन सोज, —सदस्य";  
संसद् सदस्य (राज्य सभा)

डॉ. राजेश गोपाल, अपर प्रधान मुख्य वनपाल  
(व्याघ्र, परियोजना) और सदस्य-सचिव  
[विज्ञापन III/4/187 एन/10-असा.]

टिप्पण—राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण गठित करने वाली मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, संख्यांक का.आ. 1403(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्वर्ती संशोधन संख्यांक का.आ. 1889(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2006 और का.आ. 981(अ), तारीख 15 जून, 2007 द्वारा तथा सं. 15-25/2009-एनटीसीए, तारीख 4 सितम्बर, 2009 (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित) द्वारा किए गए।

### NATIONAL TIGER CONSERVATION AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2010

F.No. 15-25/2009-NTCA.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 38L of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby appoints the following persons as Members in the National Tiger Conservation Authority with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette and ending on the 3rd September, 2012 and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1403(E), dated the 4th September, 2006, namely :—

In the said notification,—

- (i) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"4. Dr. Jyoti Mirdha —Member";  
Member of Parliament  
(Lok Sabha)

- (ii) for serial number 5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

“5. Prof. Saif-ud-Din Soz —Member”;  
Member of Parliament  
(Rajya Sabha)

Dr. RAJESH GOPAL, Addl. Chief Prl.  
Chief Conservator of Forests  
(Project Tiger) and Member-Secy.  
[ADVT III/4/187-N/10-Exty.]

Note.—The principal notification constituting the National Tiger Conservation Authority was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 1403(E), the 4th September, 2006 and subsequently was amended *vide* numbers S.O. 1889(E), dated the 2nd November, 2006, S.O. 981 (E), dated the 15th June, 2007 and number 15-25/2009-NTCA, dated the 4th September, 2009 (published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4).